

## सामान्य दिशा-निर्देश

### कारुंसिलिंग स्थल-“कलाम सेन्टर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ”

राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के नीट पी0जी0 (एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0)-2018/2019 के डिग्री पाठ्यक्रम एवं डिप्लोमा 2019/2020 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय ब्राण्ड हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 07.03.2018 में निहित व्यवस्था के अनुसार In-Person Counseling के माध्यम से सेवायोजित किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

- शासकीय हित एवं मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में यथासम्भव सेवायोजित किया जा सकता है। जिन विषयों में पी0जी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या सीनियर रेजीडेण्ट के रिक्त पदों के सापेक्ष कम है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर नये मेडिकल कालेजों में तैनात किया जायेगा।
- सीनियर रेजीडेण्ट की रिक्त सीटों का आवंटन शासनादेश संख्या-I/185422/2022 दिनांक 4.07.2022 एवं नीट पी0जी0 2019 के शासनादेश/ब्रोशर में दी गयी व्यवस्था के आधार पर किया जायेगा।
- सीटों का आवंटन मेडिकल कालेजों में रिक्त सीटों के सापेक्ष सम्बन्धित बैच की ऑल इंडिया रैंक, श्रेणी, विकल्प के आधार पर किया जायेगा। सीनियर बैच (2018 बैच) को आवंटन में वरीयता प्रदान की जायेगी।
- 2018 बैच के ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी वर्तमान सीट में परिवर्तन करने के इच्छुक हो, केवल वही कारुंसिलिंग में प्रतिभाग करें, 2018 बैच के अन्य अभ्यर्थियों को कारुंसिलिंग में प्रतिभाग करने की आवश्यकता नहीं है।
- 2018 बैच के कारुंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने पिछले वर्ष के सीनियर रेजीडेन्सी के आवंटन पत्र की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में आवंटन की कार्यवाही पर विचार नहीं किया जायेगा। पुनरावृत्त अभ्यर्थियों को नई आवंटित सीट पर योगदान देना अनिवार्य होगा।
- 2018 बैच के अर्ह एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर आवंटन का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- सहायक आचार्य पद पर सेवायोजन हेतु एक वर्ष का सीनियर रेजीडेण्ट का अनुभव होना अनिवार्य है।
- 2019 बैच के अभ्यर्थियों को सीनियर रेजीडेण्ट/ट्यूटर/डिर्मास्ट्रेटर के रिक्त पदों पर सेवायोजित किया जाएगा।
- अभ्यर्थियों को कारुंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अपना नीट पी0जी0 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड जिसमें, उनकी ऑल इंडिया रैंक उल्लिखित हो, के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के 2019 बैच के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें संस्थान द्वारा अनिवार्य शासकीय सेवा के अन्तर्गत सेवायोजित किया जा चुका है, वह कारुंसिलिंग हेतु अर्ह नहीं है।

- अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेज आवंटन होने के पश्चात् संबंधित मेडिकल कॉलेजों में आवंटन पत्र में अंकित तिथि तक योगदान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, योगदान की तिथि से ही सेवाकाल का निर्धारण किया जायेगा।
- सीनियर रेजीडेन्सी हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-6469 सेक-14/पाँच-250/82 दिनांक-12.10.1990 में निहित व्यवस्था के अनुसार ही सुविधायें अनुमन्य होंगी।
- आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आरक्षण से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। जिन अभ्यर्थियों के पास उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होगा, वह अनारक्षित श्रेणी हेतु ही मान्य होंगे।
- अन्य आवश्यक सूचनाएं विभागीय वेब-साईट [www.dgme.up.gov.in](http://www.dgme.up.gov.in) पर प्रदर्शित की जायेगी तथा किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं दी जाएगी।

महानिदेशक

संख्या-एम0ई0-3/2022/1944 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-4
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अध्यक्ष/सदस्य, काउंसिलिंग बोर्ड।
5. रजिस्ट्रार, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को चिकित्सा विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
6. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ, मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को संस्थान के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
7. प्रधानाचार्य समस्त राजकीय/स्वाशासी मेडिकल कॉलेज, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को मेडिकल कालेज के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
8. अधिशाषी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।
9. डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा को इस आशय से प्रेषित उक्त सूचना विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
10. नजिर चिकित्सा शिक्षा को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्तानुसार निर्धारित तिथियों में आवश्यक व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. शिविर सहायक, महानिदेशक कैम्प को महानिदेशक महोदया के सूचनार्थ।

महानिदेशक

कार्यालय प्रधानाचार्य, सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा।

पत्रांक: छात्र/पी0जी0/2022/6017-20

दिनांक: 18/8/2022

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा को इस आशय से कि कृपया उपरोक्त से अपने विभाग के सम्बन्धित अभ्यर्थियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. वार्डन एस0बी0एच0/पी0जी0 छात्रावास/पी0जी0 महिला छात्रावास को हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड कालेज/केन्द्रीय पुस्तकालय, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट को कालेज वेबसाईट पर प्रदर्शित कराने हेतु।

प्रधानाचार्य,

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा।